


11.03.24

श्रीमान् जिला कलेक्टर वाइमेर के आदेश क्रमांक-प() () कार्मिक /2023/4013 दि. 11.08.2023 से प्रम में यह पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वायतु से स्थानांतरित होकर प्राप्त हुई है। जो नया मुकदमा संख्या में दर्ज होकर आगन्वा उभय पक्षकारण दिनांक...26.04.24... को पेश हो।


सहायक कलेक्टर
(SDO), वाइमेर

26.04.24

पत्रावली पेश हुई। पीछासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त है। गिराल इस्तफा होकर 20.8.24 को पेश हो।

20/8/24

मुकदमा फरीकेंन उभय पीछासीन अधिकारी दिगार प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हैं, गिराल इस्तफा होकर दिनांक 18/12/24 को पेश हो।

18.12.24

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता वादी एवं वादीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता वादी एवं वादीगण अपने वाद को लेकर गंभीर नहीं हैं।
लिहाजा वादी का वाद 'अदम पेरेवी' व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल द्धतर हो व नंबर से कम हो।


सहायक कलेक्टर
(SDO), वाइमेर